कस्तूरी

बनाम

अययम्पेरूमल व अन्य

25 अप्रैल, 2005

[एन. संतोष हेगड़े, तरुण चटर्जी पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 19 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 1 नियम 10-क्रेता द्वारा विक्रेता के विरूद्ध संस्थित संपत्ति की बिक्री के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद-प्रत्यर्थी नंबर 1 औार 4 से 11 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना - अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति/तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिवादी के रूप में जोडे जाने के हकदार होने के लिए दावे की सम्पति पर स्वतंत्र स्वामित्व व कब्जे का दावा करना। विचारण न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर, अभिनिर्धारित साम्यिक अधिकार के साथ-साथ कानून में, सांविदिक अधिकारों का गठन करता है और पक्षकारों को दायित्वों को भी निर्धारित करता है - एक आवश्यक पक्षकार कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में अधिकार रखता है और ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है - प्रत्यर्थियों का कोई प्रत्यक्ष हित नहीं था - उनकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री पारित की जा सकती है क्योंकि संबंधित सम्पति उनके द्वारा विक्रेता से संपर्क करने के पश्चात नहीं खरीदी गई थी -

विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे में वादी को पक्षकारों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिनके साथ वह लड़ना नहीं चाहता -इस प्रकार संविदा के लिए प्रत्यर्थी/अजनबी न तो उचित पक्षकार हैं और न ही वाद में आवश्यक पक्षकार - मुकदमे में निचली अदालतों ने पक्षकारों को जोडने के आवेदन को अनुमति देने में बिना किसी विधि के और बिना किसी क्षेत्राधिकार के प्रयोग किया-

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही - संविदा में पक्षकार/अजनबी को जोड़ना - इसका प्रभाव - अभिनिर्धारित इस तरह के जुडाव से विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमें का दायरा बढ जाएगा - आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) के संदर्भ में - न्यायालय संपार्श्विक मामलों के निर्णय की अनुमति नहीं दे सकता है ताकि विक्रय के अनुबंध के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक मुकदमे को पक्षकारों के बीच स्वामित्व के लिए एक जटिल मुकदमे में परिवर्तित नहीं किया जा सके-

आवश्यक पक्षकार/उचित पक्षकार - का अर्थ।

इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या विक्रेता के खिलाफ केता द्वारा शुरू की गई संपत्ति की विक्रय के लिए संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक वाद में, संविदा के लिए एक अजनबी/तीसरा पक्षकार एक स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जे का दावा कर रहा

है । संविदा सम्पति के वाद में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़े जाने का हकदार है

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया

1. उच्च न्यायालय औार विचारण न्यायालय ने वाद में प्रतिवादी के रूप में जोडे जाने के लिए प्रत्यर्थियों के आवेदन को अनुमति देने में बिना किसी विधि के और बिना किसी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग किया।

2.1. सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) के तहत प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए वाद में आवश्यक पक्षकार संविदा के पक्षकार हैं या यदि वे मर चुके हैं तो उनके विधिक प्रतिनिधि और वह व्यक्ति भी है जिसने विक्रेता से संविदाकृत संपत्ति खरीदी थी। सम्यकता के साथ-साथ विधि में भी सांविदिक अधिकारों का गठन करता है और पक्षकारों के दायित्व को भी निर्धारित करता है । एक क्रेता एक आवश्यक पक्षकार है क्योंकि यदि उसने संविदा की सूचना के साथ खरीदारी की है तो वह प्रभावित होगा, लेकिन एक व्यक्ति जो विक्रेता के वाद के प्रतिकूल दावा करता है, यद्यपि, एक आवश्यक पक्षकार नहीं है।

2.2 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 19 पक्षकारों औार उनसे व्युत्पन्न पश्चातवर्ती हक के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध

अनुतोष प्रदान करता है । यह धारा इस प्रश्न पर आधारित है कि वे कौन से पक्षकार हैं जिनके विरूद्ध विनिर्दिष्ट पालन का प्रवर्तन लागू किया जा सकता है।

2.3. इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि वाद में उचित पक्षकार कौन है विनिर्दिष्ट पालन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि वाद में अन्तर्वलित विवादों पर निर्णय लेने के लिए ऐसे पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार, प्रश्न का निर्णय दावे के दायरे को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस तरह के वाद में जो प्रश्न विनिश्चय किया जाना है, वह संविदा के पक्षकारों के बीच किए गए संविदा की प्रवर्तनीयता से संबंधित है। वाद में जुड़ना चाहने वाले व्यक्ति को यदि वाद में जोड़ा जाता है, तो विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद का दायरा बढ़ जाएगा और यह व्यावहारिक रूप से स्वामित्व के लिए वाद में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वाद में अन्तर्वलित विवादों के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए ऐसे पक्षकारों की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक नहीं कहा जा सकता है।

टास्कर बनाम स्मॉल, 1834 (40) अंग्रेजी रिपोर्ट 848 (1886) 2 Ch.164 संदर्भित किया गया।

2.4. आवश्यक पक्षकार वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोइ डिक्री पारित नहीं की जा सकती या कार्यवाही में अन्तर्वलित विवाद के संबंध में किसी पक्षकार के विरूद्ध कुछ अनुतोष का

अधिकार होना चाहिए अैार उचित पक्षकार वे हैं जिनकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होती है। न्यायालय को वास्तव में अैार पूरी तरह से अन्तर्वलित सभी प्रश्नों को निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होना चाहिए । यद्यपि वाद में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई अनुतोष का दावा नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी सं 1और 4 से 11 आवश्यक पक्षकार नहीं हैं क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री पारित की जा सकती थी क्योंकि उन्होंने संविदा किए जाने के बाद विक्रेता से संपत्ति नहीं खरीदी थी। वे इसलिए भी आवश्यक पक्षकार नहीं थे क्योंकि वे अपीलार्थी और प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 के बीच हुयी संविदा से प्रभावित नहीं होंगे।

अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा उर्फ गास गुरु, [1995] 3 एस.सी.सी.147, पर निर्भर

2.5. प्रत्यर्थी सं. 1 और 4 से 11 ने इस संविदा के आधार पर वाद में उन्हें जोड़ने की मांग नहीं की जिसके संबंध में विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद दायर किया गया है; उनका दावा व्यक्तिगत स्वामित्व और संविदाकृत संपत्ति के कब्जे पर आधारित था, इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि प्रतिवादी 1 और 4 से 11 को वाद में जोड़ा या शामिल किया जाता है, तो विक्रय के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए मुकदमे का दायरा विनिर्दिष्ट पालन के वाद से, स्वामित्व और कब्जे के लिए वाद तक बढ़ जाएगा जो विधितः स्वीकार्य नहीं है।

विजय प्रताप और अन्य बनाम शंभू सरन सिन्हा और अन्य, [1996] 10 एससीसी,

53, पर निर्भर

3. किसी तीसरे पक्ष या किसी अजनबी को संविदा में नहीं जोड़ा जा सकता है ताकि एक अलग प्रकृति का वाद भिन्न प्रकृति के वाद में परिवर्तित न हो । इस स्थिति में संविदाकृत सम्पति के संबंध में विक्रय के करार के विनिर्दिष्ट पालन के लिए प्रत्यर्थी सं 2 और 3 के विरूद्ध अैार अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है । उक्त वाद में जो डिक्री पारित की जाएगी, वह स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 और 4 से 11 को बाध्य नहीं कर सकती है उस स्थिति में वे दीवानी प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का लेकर अपने कब्जे की रक्षा के लिए निष्पादन में बाधा डालने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि वे उनके लिए उपस्थित हैं, या अपीलार्थी या प्रत्यर्थी सं. ३ के विरूद्ध स्वामित्व और कब्जे की घोषणा के लिए दावा दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे दूसरी ओर, यदि डिक्री अपीलार्थी के पक्ष में पारित की जाती है और विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है, तो अनुबंध के लिए अजनबी, प्रत्यर्थी सं 1 और 4 से 11, पर कब्जा करने के लिए वाद चलाया जा सकता है।

4.1. सी.पी.सी. के उप-नियम (2) आदेश 1 नियम 10 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि विधायिका का स्पष्ट रूप से मतलब था कि दावाकृत

पक्षकारों के बीच में उठाए गए थे विवादों को केवल अधिकार के संबंध में ही रखा जाना चाहिए, यह कहा गया कि एक तरफ अनुतोष का दावा किया गया अैार दूसरी तरफ से इंकार कर दिया गया है न कि उन विवादों में जो वादी/अपीलार्थी और प्रतिवादियों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं या मुकदमे के पक्षकारों और तीसरे पक्ष पक्षकार के बीच उत्पन्न प्रश्न । इस प्रकार, न्यायालय संपार्श्विक मामलों के निर्णय की अनुमति नहीं दे सकता है ताकि विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक मुकदमे को एक ओर वादी/अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं 2 व 3 तथा प्रत्यर्थी सं 1 और 4 से 11 बीच स्वामित्व के लिए एक जटिल मुकदमे में परिवर्तित न किया जा सके। यदि पक्षकार को जोडे जाने की अनुमति दी जाती है तो दावे में जटिलता उत्पन्न हो जाएगी। जिससे गंभीर प्रश्नों का परीक्षण अैार निर्णय करना होगा जो कि वाद के दायरे से पूरी तरह बाहर है।

अमोल बनाम रशीद टक एंड संस लिमिटेड, [1956] ऑल इंग.रिपोर्टर, 273,

संदर्भित किया गया।

4.2 अपीलार्थी जिसने विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया है जो dominuslitus है अैार उसे उन पक्षकारों को संयोजित करने के लिए मजबूर नही किया जा सकता जिनके विरूद्ध वह लडना नहीं चाहता है जब तक कि विधि के किसी प्रावधान से

बाध्य न हो। इस कारणों से प्रत्यर्थी सं 1 और 4 से 11 न तो आवश्यक पक्षकार हैं अैार न ही उचित पक्षकार है अैार इसलिए वे विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लंबित वाद में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोडे जाने का हकदार नहीं है।

5.1. यह अच्छी तरह से स्थापित किया गया है कि विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद में केवल अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के बीच मामला दर्ज किया जाएगा अैार यह भी न्यायालय के लिए जरूरी नहीं है कि वह यह तय करे कि प्रत्यर्थी संख्या 4 से 11 के पास संविदाकृत सम्पति का स्वामित्व अैार कब्जा हांसिल कर लिया है क्योंकि वह विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

5.2. दो परीक्षण जिनके द्वारा एक व्यक्ति जो लंबित वाद में जोडे जाने की मांग कर रहा है विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए लंबित वाद के लिए संतुष्ट किया जाना चाहिए-(i) विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की कार्यवाही में शामिल समान विषय वस्तु से संबंधित पक्षकार के विरूद्ध समान अनुतोष का अधिकार होना चाहिए और (ii) ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में न्यायालय के लिए प्रभावी डिक्री या आदेश पारित करन संभव नहीं होगा । वर्तमान मामले के तथ्यों परिस्थितयों में इन दो परीक्षणों को लागू करने से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से

11 इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं कि उपरोक्त दोनों परीक्षण इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए हैं कि क्या अजनबी/तीसरा पक्षकार सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत जोडे जाने के हकदार हैं। इस प्रकार यदि संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए डिक्री प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की अनुपस्थिति में पारित की जाती है, तो संविदाकृत सम्पति पर संविदाकृत सम्पति उन्हें कब्जे के लिए परेशान किया जा सकता है या प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विरूद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त विक्रय विनिर्दिष्ट पालना के लिए डिक्री के निष्पादन में उन्हें संविदाकृत सम्पति से बेदखल किया जा सकता है। इसलिए, संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए तत्काल मुकदमे में कार्यवाही के अन्य कारण में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय का विवचारण न्यायालय के लिए खुला नहीं था अैार इसलिए निचली दो न्यायालयों ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के आवेदन पर दायर विक्रय के संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए लंबित वाद में पक्षकारों को जोडने के आवेदन को अनुमति देने में बिना, विधि प्रक्रिया व अधिकार क्षेत्र के काम किया।

5.3. यह न्यायालय के लिए खुला है कि वह आदेश में हस्तक्षेप करे यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि नीचे की दो अदालतों ने सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदित पक्षकारों को जोड़ने के लिए आवेदन की अनुमति देने के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में बिना अधिकार क्षेत्र के या बिना विधिक प्रक्रिया के और तात्विक

अनियमितता के साथ काम किया था। वादी द्वारा वाद में पक्षकार नहीं बनाए गए किसी पक्षकार को जोड़ने के लिए सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 को लागू करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता का प्रश्न तब तक नहीं उठेगा जब तक कि पक्षकारा बनाए जाने के लिए प्रस्तावित किसी पक्षकार का वाद में अन्तवर्लित विवाद में सीधा हित न हो।

5.4. विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे में उत्तरदाता सं 1 और 4 से 11 की कोई प्रत्यक्ष रुचि नहीं थी क्योंकि वे अनुबंध के पक्षकार नहीं हैं और न ही वे मुकदमे के पक्षकारों से किसी भी हित का दावा करते हैं। इस संबंध में एक और पहलू पर विचार किया जा सकता है। यह है कि एक आवेदक को जोड़ने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल तभी उत्पन्न होगा जब न्यायालय को पता चलता है कि ऐसा आवेदक या तो एक आवश्यक पक्षकार या एक उचित पक्षकार है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायालय निचलों न्यायालयों के विवादित आदेशों को इस आधार पर दरकिनार नहीं कर सकता है कि सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की अधिकारिता का उपयोग प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के पक्ष में नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। उपरोक्त कारणों से, संविदा के लिए अजनबी, अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 तक दावा करने को स्वतंत्र और प्रतिवादी संख्या प्रत्यर्थी 2 और 3 के हक के प्रतिकूल दावा कर रहे हैं, न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार हैं, और इसलिए, विनिर्दिष्ट पालना

के लिए मुकदमे में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल होने के हकदार नहीं हैं।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने इस निर्णय में वाद सम्पति के प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के कब्जे व स्वामित्व के बारे में अभिनिश्चत नहीं किया है और ऐसे सभी प्रश्नों को उस स्थिति में खुला रखा जाता है जब प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 या अपीलार्थी द्वारा उपयुक्त न्यायालय में लाया जाता है।

रमेश हीराचंद कुंदनमल बनाम ग्रेटर नगर निगम बॉम्बे व अन्य, [1992] 2 एस.सी.सी. 524, पर निर्भर

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2831/2005 ।

मद्रास उच्च न्यायालय के 10.10.2002 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2001 के सी. आर. पी. सं. 1818 में न्यायालय

सिद्धार्थ दवे, सेंथिल जगदीशन और बनाम रामसुब्रमण्य

अपीलार्थी

राजू रामचंद्रन यू.ए. राणा, मधुप सिंघल, फोर एम/एस गागराट और सह. प्रत्यर्थी उनके साथ।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया

तरुण चटर्जी , जे. लीव मंजूर।

इस मामले में एकमात्र सवाल जिस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या विक्रेता, किसी अजनबी या संविदा के किसी तीसरे पक्षकार के विरूद्ध क्रेता द्वारा संपत्ति के विक्रय के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमा, जो संविदा की गयी सम्पति पर स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जा होने का दावा करता है, उक्त मुकदमे में एक पक्षकार/प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाने का हकदार है।

2. इससे पहले कि हम इस प्रश्न को विस्तार से निर्णय लें, इस मामले को दायर करने के लिए तात्विक तथ्यों को एक संक्षेप दिशा निर्देश के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अपीलार्थी ने यहाँ प्रत्यर्थी Nos.2 और 3 के विरूद्ध वाद दायर किया है। संविदाकृत संपत्ति के विक्रय के लिए अैार तीसरे प्रत्यर्थी के पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में कार्य करने वाले दूसरे प्रत्यर्थी और दूसरी ओर अपीलार्थी के बीच किए गए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन । विक्रय के संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए इस मुकदमे में, प्रत्यर्थी Nos.1 और 4 से 11, जो निश्चित रूप से संविदा के पक्षकार नहीं थे और संविदा की गई संपत्ति पर स्वयं के स्वामित्व और कब्जे का दावा करते थे, ने एक याचिका दायर की कि स्वयं को प्रतिवादी के रूप में मुकदमे में जोडे जाने के लिए आवेदन किया। निचली न्यायालय ने इस आधार पर आवेदन को स्वीकार कर लिया कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 4 से 11, द्वारा संविदाकृत अनुबंधित संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे का दावा कर रहे थे, उन्हें मुकदमे के विषय-वस्तु में प्रत्यक्ष हित होने के लिए

अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए, और इसलिए, मुकदमे में पक्षकार प्रतिवादियों के रूप में जोड़े जाने का हकदार होना चाहिए क्योंकि उनकी उपस्थिति वर्तमान वाद में उठाए गए विवादों का निर्णय करना आवश्यक होगी। उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में उक्त आदेश की पुष्टि की और तदनुसार उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह विशेष अनुमति याचिका अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी, जिसे विशेष अनुमति देने पर पक्षकारों की उपस्थिति में सुनवाई के लिए लिया गया था।

3. प्रश्न का विनिश्चय करने जैसा कि यहाँ विरचित किया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में सी.पी.सी.) के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना होगा, जिसके तहत न्यायालय को मुकदमे में एक पक्षकार को जोड़ने का अधिकार है। हालाँकि, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न पर उत्तर यह है कि उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी Nos.1 और 4 से 11 के आवेदन को मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति देने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बिना किसी विधि के काम किया था। यहां कुछ विशेष कानून हैं जो स्पष्ट रूप से पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान करते हैं उस विशेष कानून के तहत दायर कार्यवाही/मुकदमे में पक्षकार बनाए जाने वाले व्यक्ति इसके तहत किए गए प्रावधानों का उदाहरण लेते हैं । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम उपरोक्त अधिनियम की धारा 82 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि चुनाव याचिकाओं में पक्षकार बनाए जाने वाले व्यक्ति

कौन हैं । अन्य विशेष क़ानून भी हैं जो यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उस विशेष क़ानून के तहत स्थापित कार्यवाही में पक्षकारों के रूप में किसे शामिल किया जा सकता है, अन्यथा सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होने चाहिए। जहाँ तक सी.पी.सी. के तहत पक्षकारों को जोड़ने का संबंध है, हम पाते हैं कि पक्षकारों को जोड़ने की ऐसी शक्ति सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 से उत्पन्न होती है। जैसा कि हम सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 के साथ तत्काल मामले में विचार करते हैं, हम सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 को छोड़कर सी. पी. सी. के अन्य प्रावधानों को संदर्भित करना आवश्यक नहीं पाते हैं। इसके अंतर्गत

> नियम 10. (1) "जहाँ कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है, या जहां यह संदेह पूर्ण है कि क्या वह सही वादी के नाम में संस्थित किया गया है वहां यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद सदभाविक भूल से संस्थित किया गया है अैार विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो ऐसे निबंधनों पर, जो न्यायसंगत समझे, वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोडे जाने का आदेश दे सकेगा।

(2) न्यायालय कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, या तो या तो दोनों पक्षकारों मे से किसी के आवेदन पर या उसके बिना अैार ऐसे निबंधनों पर जो वह न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए अैार किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तवर्लित सभी प्रशनों का प्रभावी तौर पर अैार पूरी तरह न्यायनिर्णयन अैार निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो जोड दिया जावे। (3).....

(4).....

(5)....." (आवश्यक नहीं होने से छोडा गया)

4. यह तय करने में कि क्या संविदा के लिए कोई अजनबी या कोई तीसरा पक्षकार विक्रय के लिए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में जोडे जाने का हकदार है, हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 उप-नियम

(1) दायरे में गहराई से जाएं। जिसके तहत वादी को केवल मुक़दमे में जोडे जाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

5. इस प्रकार हम खुद को आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) सी. पी. सी. के प्रावधान तक सीमित रखें । जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है। सी. पी. सी. के आदेश 1 नियम 10 के उप-नियम (2) के अवलोकन से हम पाते हैं कि न्यायालय को किसी भी पक्ष का नाम हटाने की शक्ति प्रदान की गई है । अनुचित रूप से शामिल किए गए किसी भी व्यक्ति को को वादी या प्रतिवादी के रूप में या किसी मामले में शामिल किया जाना चाहिए था अैार यह भी कि जब किसी व्यक्ति का नाम वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या कोइ भी मामला जहां न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है ताकि न्यायालय को प्रभावी रूप से और पूरी तरह से निर्णय लेने और इसमें अन्वर्लित सभी प्रशनों को हल करने में सक्षम बनाया जा सके । वर्तमान मामले में, चूंकि हमें किसी भी वादी या प्रतिवादी का नाम हटाने पर विचार नहीं करना है, जो अनुचित रूप से जुडे गए है, इसलिए हम केवल इस बात पर विचार करेंगे कि क्या सी. पी.सी. के आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) का दूसरा भाग यह अधिकार देता है कि एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ने का जो जुडना चाहिए था या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को प्रभावी रूप से अैार पूरी तरह से निर्णय लेने और

मुकदमे में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

6. हमारे विचार में, इस प्रावधान का पठन, अर्थात्, सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) दूसरा भाग स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि विक्रय के संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमें आवश्यक पक्षकार संविदा के पक्षकार हो या यदि वे मर चुके हैं तो उनके विधिक प्रतिनिधियों के साथ ही एक व्यक्ति जिसने विक्रेता से संविदाकृत सम्पति खरीदी थी । सम्यकता के साथ साथ कानून में भी, संविदा अधिकारों औार पक्षकारों के दायित्वों का भी निर्धारण करती है। क्रेता एक आवश्यक पक्षकार है क्योंकि अगर उसे संविदा की सूचना दिए बिना खरीदारी की है तो वह प्रभावित होगा, जो व्यक्ति विक्रेता के दावे पर प्रतिकूल दावा करते हैं वे आवश्यक पक्षकार नहीं है। उपरोक्त में से अब यह स्पष्ट है कि परीक्षण करने के लिए प्रश्न का निर्धारण करने के लिए संतुष्ट होना होगा कि आवश्यक पक्षकार कौन है परीक्षण (1) कार्यवाही में सम्मिलित विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के विरूद्ध अनुतोष का अधिकार होना चाहिए (2) जिन पक्षकारों के अनुपस्थिति में कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

7. हम इस समस्या को दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं धारा 19 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पक्षकारों के व उनसे वित्तपन्न पश्चातवर्ती हक

के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अनुतोष प्रदान करता है जो बाद के शीर्षक से उनके तहत दावा करते हैं। इस अध्याय द्वारा यथा उपबंधित के सिवाए संविदा के विनिर्दिष्ट पालन निम्नलिखित के विरुद्ध कराया जा सकेगा- (क) उसमें का कोई पक्षकार;

(ख) ऐसे मूल्यार्थ अन्तरिति के सिवाय, जिसने अपना धन सदभावनापूर्वक तथा मूल संविदा की सूचना के बिना दिया हो, एसा कोई दूसरा व्यक्ति, जो उनसे व्युत्पन्न एसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो संविदा के पश्चात उदभूत हुआ हो।

(ग) कोई व्यक्ति जो एसे हक के अधीन दावा कर रहा हो जो हक, यद्यपि संविदा के पहले का अैार वादी की जानकारी में था तथापि प्रतिवादी द्वारा विस्थापित किया जा सकता था ।

(घ) जब किसी कंपनी ने संविदा की हो और उसके पश्चात किसी दूसरी कंपनी में समामेलित हो गयी हो तब समामेलित से उत्पन्न नयी कंपनी।

(ड) जब किसी कंपनी के समप्रवर्तकों ने उसके निगमन के पहले, कोई संविदा कंपनी के प्रयोजन के लिए की हो अैार संविदा ऐसी हो जो निगमन के निर्बधनों द्वारा समर्थित हो तब वह कंपनी

परन्तु यह तब जब कि कंपनी ने संविदा को प्रतिग्रहित कर लिया हो अैार संविदा दूसरे पक्षकार को एसा प्रतिग्रहण संसूचित कर दिया हो।

8. हमने अधिनियम की धारा 19 की उप-धाराओं (ए) से (ड) पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की उप-धारा (ए) से (ड) के उपरोक्त प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच से हमारा मानना है कि विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे में अतिरिक्त मांग करने वाले व्यक्ति जो इसके तहत दावा नहीं कर रहे थे, लेकिन वे विक्रेता के हक के प्रतिकूल दावा कर रहे थे, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (ए) से (ड) में बताई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं।

9. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 19 को पढ़ने से हमारा यह भी मानना है कि यह धारा इस प्रश्न पर आधारित है कि वे कौन से पक्षकार हैं जिनके विरूद्ध विनिर्दिष्ट पालना के लिए संविदा लागू की जा सकती है।

10. जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए संतुष्ट होने के लिए दो परीक्षणों की आवश्यकता है कि एक आवश्यक पक्षकार कौन है, आइए अब विचार करें कि विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक मुकदमे में उचित पक्षकार कौन है। इस प्रश्न का निर्णय करने के लिए कि विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे में उचित पक्षकार कौन है, मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे में अन्तर्निहित विवादों पर निर्णय लेने के

लिए ऐसी पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रकार, मुकदमे के दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का निर्णय किया जाना चाहिए। विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक मुकदमे में जो प्रश्न तय किया जाना है वह संविदा के पक्षकारों के बीच की गयी संविदा की प्रवर्तनीयता से संबंधित है। यदि अतिरिक्त चाहने वाले व्यक्ति को ऐसे मुकदमे में जोड़ा जाता है, तो विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे का दायरा बढ़ जाएगा और यह व्यावहारिक रूप से स्वामित्व के लिए मुकदमे में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए, मुकदमे में अन्तर्निहित विवादों के प्रभावी निर्णय के लिए ऐसे पक्षों की उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कही जा सकती। टास्कर बनाम स्माल (1834) 40 अंग्रेजी रिपोर्ट 848 में लार्ड चांसलर काॅटनहैम ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

> "यह विवादित नहीं है कि, आम तौर पर, विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक बिल के लिए, संविदा के पक्षकार केवल उचित पक्षकार होते हैं; और, जब उस प्रकार के मुकदमों में सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के आधार पर विचार किया जाता है तो यह उचित रूप से अन्यथा नहीं हो सकता है, न्यायालय ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार मानता है, क्योंकि न्यायालय केवल संविदा के पालन न करने पर हर्जाना लगाता है, कई मामलों में पर्याप्त उपाय नहीं है लेकिन, साम्यता में, साथ ही विधि में,

सांविधिक अधिकार का गठन करता है और पक्षकारों की देनदारियों को नियंत्रित करता है; और दोनों कार्यवाहियों का उद्देश्य शिकायत करने वाले पक्षकारों को यथासंभव उसी स्थिति में रखना है, जिस स्थिति में प्रतिवादी सहमत था कि उसे रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि संविदा के लिए अजनबी व्यक्ति, और इसलिए, कोई भी इसके हकदार नहीं है अधिकार, न ही इससे व्युत्पन्न होने वाली देनदारियों के अधीन, इसके निष्पादन को लागू करने की कार्यवाही के लिए उतने ही अजनबी हैं जितना कि इसके उल्लंघन के लिए नुकसान की वसूली की कार्यवाही के लिए।"

11. 40 ई.आर. 848 में उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन के साथ ध्यान दिलाते हुए (1886) 2 सीएच. 164 (डी हॉगटन बनाम मनी) पृष्ठ 170 पर टर्नर, एल.जे. में अनुसरण किया गया।

"यहाँ फिर से उनका मामला (1834) 40 ई.आर. 848 माना गया, जिस मामले में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि एक क्रेता, अपनी संविदा को प्रभावी ढंग से करने से पहले, संपत्ति से जुड़े संविदा की साम्यता में अजनबियों के विरूद्ध लागू नहीं कर सकता है, एक नियम जो जैसा कि मुझे लगता है, यह सिद्धांत के रूप से अच्छी

तरह से स्थापित है, क्योंकि यदि यह अन्यथा होता, तो इस न्यायालय को उन प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है जो कभी नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि संविदा या तो होनी नहीं चाहिए, या निष्पादित नहीं की जा सकती।"

12. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि आवश्यक पक्षकार वे व्यक्ति हैं जिनकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है या कार्यवाही में अन्तर्निहित विवाद के संबंध में किसी पक्षकार के विरूद्ध कुछ अनुतोष का अधिकार होना चाहिए और उचित पक्षकार वे हैं जिनकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति आवश्यक होगी ताकि न्यायालय प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर निर्णय ले सके और उनका निपटारा कर सके, हालांकि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमे में कोई अनुतोष का दावा नहीं किया गया था।

13. ऊपर बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब इस मामले के स्वीकृत तथ्यों पर पहले विचार करें कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 आवश्यक पक्षकार हैं या नहीं। हमारी राय में, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 आवश्यक पक्षकार नहीं हैं क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री पारित की जा सकती है क्योंकि उन्हें संविदा में शामिल करने के पश्चात विक्रेता से संविदाकृत संपत्ति नहीं खरीदी थी। वे आवश्यक

पक्षकार भी नहीं थे क्योंकि वे अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के बीच हुइ संविदा से प्रभावित नहीं होंगे। अनिल कुमार सिंह बनाम शिवनाथ मिश्रा उर्फ गडासा गुरु, 1995 (3) एससीसी 147 के मामले में, यह निर्धारित किया गया कि यद्यिप आवेदक जिसने अपने लिए अतिरिक्त की मांग की है, वह विक्रय के करार का एक पक्षकार नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी अनुपस्थिति में, विवाद के रूप में विनिर्दिष्ट पालना के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस मामले में पैराग्राफ 9 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय करते हुए कि विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक व्यक्ति एक आवश्यक पक्षकार है या नहीं, निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "चूंकि प्रतिवादी विक्रय के करार में एक पक्षकार नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी उपस्थिति के बिना विनिर्दिष्ट पालना के विवाद का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वह एक आवश्यक पक्षकार नहीं है।"

14. जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 उचित पक्षकार थे या नहीं, प्रश्न तय करने के लिए जो सिद्धांत लागू होगा वह यह कि न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की उपस्थिति सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होनी चाहिए । यह प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से निर्णय लेने और मुकदमे में अन्तर्निहित सभी प्रश्नों का

निपटारा करने के लिए है। जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक मुकदमे में, तय किया जाने वाला बिन्दु अपीलार्थी और प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3 के बीच की गयी संविदा की प्रवर्तनीयता है और क्या संविदा अपीलार्थी अैार प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3 द्वारा निष्पादित की गयी । संविदाकृत संपत्ति के विक्रय के प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3, क्या वादी संविदा के अपने हिस्से की पालना करने के लिए तैयार और इच्छुक थे और क्या अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के विरूद्ध विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए डिक्री का हकदार है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 ने उस संविदा के बल पर मुकदमे में अपने अतिरिक्त को शामिल करने की मांग नहीं की जिसके संबंध में विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमा दायर किया गया है। बेशक, उन्होंने अपना दावा संविदाकृत संपत्ति के स्वतंत्र स्वामित्व और कब्जे पर आधारित किया। इसलिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है यह स्पष्ट है कि इस घटना में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 को मुकदमे में जोड़ा या शामिल किया जाता है तो विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे का दायरा बढ़ जाएगा। स्वामित्व और कब्जे के लिए किसी मुकदमे के विनिर्दिष्ट पालना के लिए जो विधि में स्वीकार्य नहीं है। विजय प्रताप एवं अन्य बनाम संभु सरन सिन्हा एवं अन्य 996(10) एससीसी_53 के मामले में रिपोर्ट किया गया, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय ने वही दृष्टिकोण अपनाया था जो हम इस

निर्णय में ले रहे हैं। इस न्यायालय ने उस निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि संविदा के लिए अजनबी की संपत्ति के अधिकार, हक और हित का निर्णय करना विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे के दायरे से बाहर है और इसे नियमित स्वामित्व के मुकदमे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारे विचार में किसी तीसरे पक्षकार या किसी अजनबी को संविदा में नहीं जोड़ा जा सकता है ताकि एक प्रकृति के वाद को भिन्न प्रकृति के वाद में न बदला जा सके। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के विरूद्ध और संविदाकृत संपत्ति के संबंध में विक्रय की संविदा विनिर्दिष्ट पालना के लिए अपीलार्थी के पक्ष में कोई डिक्री पारित की जाती है जो डिक्री उक्त मुकदमे में पारित की जाएगी। जाहिर है कि, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि इस घटना में, अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के विरूद्ध संविदाकृत संपत्ति के विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक डिक्री प्राप्त करता है, फिर, न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित करने से इंकार करने की स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन का निर्देश देगा और संविदाकृत संपत्ति पर कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए उसे डिक्री को निष्पादन में रखना होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 संविदाकृत संपत्ति के विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री उन्हें बाध्य

नहीं करेगी और उस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 या तो सीपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों का सहारा लेकर अपने कब्जे की रक्षा के लिए निष्पादन में बाधा डालने के लिए स्वतंत्र होगें यदि वे उनके लिए उपलब्ध है या स्वामित्व की घोषणा के लिए एक स्वतंत्र मुकदमा दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे और अपीलार्थी या प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के विरूद्ध कब्ज़ा दूसरी ओर, यदि अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री पारित की जाती है और विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 तक संविदा के लिए अजनबी होना होगा यदि गुप्त संपत्ति उनके कब्जे में हैं तो कब्जा लेने के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा।

15. इसके अलावा, सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 उप-नियम (2) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से पढ़ने से "मुकदमे में शामिल सभी प्रश्न" यह विस्तार से स्पष्ट है कि विधायिका का स्पष्ट रूप से मतलब था कि उठाए गए विवाद को पक्षकारों के बीच केवल उन विवादों पर विचार किया जाना चाहिए जो स्थापित अधिकार और एक तरफ से दावा की गई अनुतोष और दूसरी तरफ से इन्कार किए जाने के संबंध में हैं, न कि उन विवादों पर जो वादी/अपीलार्थी के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। अपीलार्थी और मुकदमे के पक्षकारों और किसी तीसरे पक्ष के बीच परस्पर संबंध या प्रश्न पूछते हैं। हमारे विचार में, इसलिए, न्यायालय संपार्श्विक मामलों के फैसले की अनुमति नहीं दे सकती है ताकि विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक मुकदमे को वादी/अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 और 3

और प्रत्यर्थी के बीच स्वामित्व के लिए एक जटिल मुकदमे में परिवर्तित न किया जा सके। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 को इसमें जुडने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक जटिल मुकदमेबाजी को जन्म देगा जिसके द्वारा गंभीर प्रश्नों का परीक्षण और निर्णय करना होगा जो मुकदमे के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। चूंकि विक्रय की संविदा के विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक मुकदमे की डिक्री, यदि पारित हो जाती है, तो संविदाकृत संपत्ति के संबंध में और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के अधिकार, शीर्षक और हित को प्रभावित नहीं कर सकती है। यहां पहले की गई विस्तृत चर्चा के अनुसार, विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 को तत्काल मुकदमे में जोड़ा जाना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होगा।

16. यह कल्पना करना कठिन है कि संविदाकृत संपत्ति पर किसका कब्ज़ा है, इस प्रश्न का निर्णय करते समय, न्यायालय के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह किसी तीसरे पक्ष/या किसी अजनबी के कब्ज़े के प्रश्न पर निर्णय ले, क्योंकि सबसे पहले यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के बीच की गयी संविदा की प्रवर्तनीयता क्या है और क्या संविदाकृत संपत्ति के विक्रय के लिए अपीलार्थी और प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 द्वारा संविदा निष्पादित की गयी थी, क्या वादी तैयार थे और इच्छुक थे कि वे संविदा के अपने हिस्से का पालन करें और क्या अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 2 और 3 के विरूद्ध विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट

पालना की डिक्री का हकदार है दूसरे उस मामले में, जो कोई भी संविदाकृत संपत्ति पर अपने स्वतंत्र कब्जे का दावा करता है, उसे मुकदमे में जोड़ा जाना चाहिए यह प्रक्रिया मुकदमे के अंतिम निर्णय के बिना भी जारी रह सकती है। इसके अलावा, विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे में शामिल विवादों के जवाब में हस्तक्षेपकर्ता को सीधे और कानूनी रूप से दिलचस्पी लेनी चाहिए। अमोल बनाम रशीद टक एंड संस लिमिटेड [1956] 1 ऑल इंजी. रिपोर्टर, 273] में यह निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से विवादों के जवाब में तभी रुचि रखता है, जब वह न्यायालय को संतुष्ट कर सके कि इससे ऐसा परिणाम आ सकता है जो उस पर कानूनी रूप से प्रभाव डालेगा।

17. इसके अलावा एक और सिद्धांत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता. अपीलार्थी, जिसने विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया है, डोमिनस लिटस है और उसे उन पक्षकारों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिनके विरूद्ध वह लड़ना नहीं चाहता है जब तक कि यह विधितः बाध्य न हो, जैसा कि पहले से ही ऊपर चर्चा की गई है . उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 न तो आवश्यक पक्षकार हैं और न ही उचित पक्षकार हैं और इसलिए विक्रय के लिए संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए लंबित मुकदमे में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में जोड़े जाने के हकदार नहीं हैं।

18. हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 ने अपने स्वतंत्र स्वामित्व के आधार पर मुकदमे की संपत्ति पर कब्जा करने का दावा किया है, और जैसा कि अपीलार्थी, ने वाद में कब्जे के अनुतोष का भी दावा किया था, कब्जे के संबंध में विवाद के बिन्दू प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 सहित पक्षकारों के लिए सामान्य है, इसलिए, इसे वर्तमान मुकदमे में ही निपटाया जा सकता है। तदनुसार, यह माना गया कि ऐसे विवाद के उचित निर्णय के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की उपस्थिति आवश्यक होगी। यह तर्क, जो नीचली दोनों न्यायालयों के द्वारा दिया गया था।। हालांकि प्रथम दृष्टि में ठोस प्रतीत होता है, लेकिन मुकदमे के दायरे सहित, यहां पहले बताए गए सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमारा विचार है कि इसमें योग्यता का अभाव है। केवल, यह पता लगाने के लिए कि संविदाकृत संपत्ति पर किसका कब्जा है, किसी तीसरे पक्षकार या संविदा के अजनबी को विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए मुकदमे में नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 तक आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योंकि संविदा के प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरुद्ध अनुतोष का कुछ भी अधिकार प्रकट नहीं हुआ था। हमारे विचार में, प्रत्यर्थी नंबर 3 के हक को चुनौती दिए बिना विक्रय के करार का तीसरा पक्ष, यहां तक कि यह मानते हुए कि वे संविदाकृत संपत्ति के कब्जे में हैं, विक्रेता के विरूद्ध स्वामित्व अैार कब्जे के लिए एक अलग

मुकदमा दायर किए बिना अपने कब्जे की रक्षा नहीं कर सकते हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए एक मुकदमे में केवल अपीलार्थी, और प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3 के बीच मामला दर्ज किया जाएगा और यह भी न्यायालय के लिए खुला नहीं है कि वह यह तय करे कि प्रत्यर्थी नंबर 2 और 3 के बीच मामला है या नहीं। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 ने संविदाकृत संपत्ति का कोई स्वामित्व और कब्ज़ा हासिल कर लिया है क्योंकि यह विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे में निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं होगा, अर्थात विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 विरूद्ध अपीलार्थी, द्वारा उठाए गए विवाद पर केवल निर्णय लिया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में न्यायालय संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के स्वामित्व और कब्जे के प्रश्न का निर्णय नहीं कर सकता है।

19. प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 को प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल करना उचित होगा क्योंकि मुकदमे की संपत्ति के कब्जे से संबंधित प्रश्न का अंतिम और प्रभावी ढंग से निपटान किया जाएगा। यहां ऊपर की गई हमारी चर्चाओं के मद्देनजर, इस तर्क में भी कोई दम नहीं है, जो नीचे दी गई दोनों न्यायालयों से समानता रखता है। यहां पहले की गई चर्चाओं के मद्देनजर, दो परीक्षण जिनके द्वारा एक व्यक्ति जो विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए लंबित मुकदमे

में अतिरिक्त मांग कर रहा है, को संतुष्ट होना चाहिए। जैसा कि यहां पहले कहा गया है, सबसे पहले विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना की कार्यवाही में शामिल एक ही विषय-वस्तु से संबंधित एक पक्षकार के विरूद्ध समान अनुतोष के लिए मुकदमे की संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, और दूसरी बात, यह संभव नहीं होगा न्यायालय ऐसे पक्ष की अनुपस्थिति में प्रभावी डिक्री या आदेश पारित करेगा। यदि हम इन दो परीक्षणों को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू करते हैं, तो यह स्पष्ट होगा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए उपरोक्त दो परीक्षणों को पूरा नहीं कर सकते हैं कि क्या कोई अजनबी/तीसरा पक्षकार हकदार है या नहीं सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत केवल इस आधार पर जोड़ा गया है कि यदि विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए डिक्री प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की अनुपस्थिति में पारित की जाती है, तो संविदाकृत संपत्ति पर उन्हें कब्जे के लिरए परेशान किया जा सकता है या वे प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के विरूद्ध अपीलार्थी, द्वारा प्राप्त विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए डिक्री के निष्पादन में संविदाकृत संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति होने के कारण, हमारे विचार में, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं था या विचारण न्यायालय ने विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए तत्काल मुकदमे में कार्रवाई के अन्य कारणों को शामिल किया, और इसलिए, नीचले दोनों न्यायालयों ने विशिष्ट निष्पादन के लिए लंबित

मुकदमे में पक्षकारों को जोड़ने के लिए आवेदन की अनुमति देने में बिना विधि के और क्षेत्राधिकार के बिना काम किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के उदाहरण पर विक्रय के लिए संविदा का वाद दायर किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के विद्वान अधिवक्ता ने हालांकि आग्रह किया कि चूंकि नीचे की दोनों न्यायालयों ने पक्षकारों को जोड़ने के लिए आवेदन की अनुमति देने में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था। उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय के ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय के लिए खुला नहीं था। हम प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के लिए विद्वान वकील के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है, यह न्यायालय के लिए आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए खुला है यदि यह माना जाता है कि नीचे की दोनों न्यायालयों ने अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया था या सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदित पक्षकारों को जोड़ने के लिए आवेदन की अनुमति देने के मामले में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में बिना किसी विधि के और तात्विक अनियमितता के साथ काम किया। वादी द्वारा मुकदमे में एक पक्षकार नहीं बनाए गए पक्षकार को जोड़ने के लिए सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 को लागू करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न तब तक नहीं उठेगा जब तक कि जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित पक्षकार का विवाद में जोडे जाने में प्रत्यक्ष हित न हो। क्या यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 की विक्रय की संविदा

की विनिर्दिष्ट पालना के लिए तत्काल मुकदमे की विषय-वस्तु में कोई प्रत्यक्ष रुचि थी? हमारे विचार में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 का विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे में कोई प्रत्यक्ष हित नहीं था क्योंकि वे संविदा के पक्षकार नहीं हैं और न ही वे मुकदमे के पक्षकारों से किसी हित का दावा करते हैं। इस संबंध में एक और पहलू पर विचार किया जा सकता है। यह है कि किसी आवेदक को जोड़ने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तभी उत्पन्न होगा जब न्यायालय को पता चलेगा कि ऐसा आवेदक या तो एक आवश्यक पक्षकार है या उचित पक्षकार है।

20. यहां यह दोहराया जा सकता है कि यदि अपीलार्थी, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 द्वारा स्वामित्व और कब्जे के दावे की सूचना प्राप्त करने के बाद भी विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया है, वह शामिल नहीं होना चाहता है लंबित मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 तक, यह हमेशा अपीलार्थी, के जोखिम पर किया जाता है क्योंकि उसे ऐसे मुकदमे में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। रमेश हीराचंद कुन्दनमल बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम एवं अन्य 1992(2) एससीसी 524 के मामले में क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि जब यह पाया जाता है कि नीचली अदालतें गलत हो गई हैं तो पक्षकारों को जोड़ने के लिए आवेदन की अनुमति देने वाले आदेश में

हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय हमेशा खुला है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि जिन व्यक्तियों को मुकदमे में जोड़ा जाना था, वे आवश्यक पक्षकार थे या वादी/अपीलार्थी, द्वारा दायर वाद में प्रतिवादी के रूप में जोड़े जाने वाले उचित पक्षकार थे। उस मामले में भी इस न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों में हस्तक्षेप किया और पक्षकारों को जोड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में, अब यह नहीं कहा जा सकता है कि यह न्यायालय निचली अदालतों के विवादित आदेशों को इस आधार पर रद्द नहीं कर सकता है कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत शक्ति लागू करने का क्षेत्राधिकार पहले से ही नीचली दोनों न्यायालयों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के पक्ष किया जा चुका है।

21. उपरोक्त कारणों से, हमारे विचार में, संविदा के लिए अजनबी, अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 तक स्वतंत्र रूप से और प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के हक के प्रतिकूल दावा करना न तो आवश्यक है और न ही उचित हैं और इसलिए, विक्रय की संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के मुकदमे में प्रतिवादी पक्षकार के रूप में शामिल होने का हकदार नहीं है।

22. इसलिए विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। इस प्रकार विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के कहने पर आवेदित पक्षकारों को जोड़ने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। अत: अपील स्वीकार की जाती है।

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस निर्णय में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 के स्वामित्व और कब्जे के बारे में निर्णय नहीं लिया है और ऐसे सभी प्रश्न खुले रखे गए हैं, यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 4 से 11 कोई भी दृष्टिकोण अपनाता है।

23. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेनू शकीत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।